प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.11.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।

दिनांक 04.11.2026 को रात्रि के समय थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी म0न0 531 आदर्श कालोनी बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष को जल प्लांट गेट के सामने थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद हुए, जिसके सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 287/125 BNS व विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा-9बी(1)(बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि उपरोक्त प्रतिबंधित अतिशबाजी पटाखे आगामी त्यौहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजार में बेचने के लिये इकट्ठा करके रखे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राजेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी म0न0 531 आदर्श कालोनी बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

31 बॉक्स GROUND CHAKKAR, 13 पैकेट बडा सुतली बम, 02 पैकेट TURKEY पटाखे, 10 पैकेट COLOURED SPARKLERS, 04 पैकेट FLOWER POTS ASOKA, 17 पैकेट FLOWER POTS BIG, 14 पैकेट BIJILI CRACKERS, 10 पैकेट CARNATION NAZI GREEN, 02 पैकेट SANGAI BAZER, 02 पैकेट ASHARFI FLOWER POTS लिखे पैकेट बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा प्रतिबंधित आतिशबाजी पटाखों के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 43 बड़े कार्टून व 04 बड़े प्लास्टिक कट्टों में प्रतिबंधित आतिशबाजी पटाखे (कीमत करीब 07 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 04.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रतिबंधित आतिशबाजी पटाखों के साथ 02 अभियुक्तगण 1.आदेश पुत्र सत्यापाल निवासी पाल विहार

कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2.उदित पुत्र अशोक निवासी जवाहर नगर चौकी गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर मूल निवासी ग्राम पीताम्बरपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 43 बड़े कार्टून व 04 बड़े प्लास्टिक कट्टों में (अवैध भंडारण) प्रतिबंधित आतिशबाजी पटाखे (कीमत करीब 07 लाख रूपये) बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा-9बी(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमनें उपरोक्त कार्टूनों व प्लास्टिक के कट्टो में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित पटाखे छिपाकर दिवाली पर बाजार में बेचने के लिये भंडारण करके रखे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.आदेश पुत्र सत्यापाल निवासी पाल विहार कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।
2.उदित पुत्र अशोक निवासी जवाहर नगर चौकी गुलाब वाटिका थाना लोनी बॉर्डर मूल निवासी ग्राम पीताम्बरपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

43 बड़े कार्टून व 04 बड़े प्लास्टिक कट्टों में (अवैध भंडारण) प्रतिबंधित आतिशबाजी पटाखे (कीमत करीब 07 लाख रूपये) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर विस्फोटक अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व
थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 विद्युत ट्रांसफॉर्मर कॉयल, चोरी करने के उपकरण रस्सा, टार्च, 02 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त बुलेरो पिकअप गाड़ी बरामद।

आज दिनांक 05.11.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की घटना कारित करने वाले 06 अभियुक्तगण 1. रोहित कश्यप 2. अनुज कश्यप 3. राहुल कश्यप 4. नकुल कौशिक 5. निजामुद्दीन 6. संजू को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 10 विद्युत ट्रांसफॉर्मर कॉयल, चोरी करने के उपकरण 01 रस्सा, 01 टार्च, 02 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त बुलेरो पिकअप गाड़ी बरामद। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा-317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस व धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग मौका पाकर बिजली के उपकरण व विद्युत ट्रांसफॉर्मर कॉयल आदि चोरी करते हैं। । ये विद्युत ट्रांसफॉर्मर कॉयल हमने मुरादनगर व निवाडी के जंगल क्षेत्र से चोरी कर इकठ्टा कर रखी थी। आज हम इस चोरी के माल को बुलेरो पिकअप गाडी में रखकर बेचने की फिराक में निकले गये थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रोहित कश्यप पुत्र बिजेन्द्र कश्यप निवासी गाँव भनेडा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।
2. अनुज कश्यप पुत्र सौदान सिंह निवासी जगतपुरी निवाडी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।
3. राहुल कश्यप पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी गाँव भनेडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष।
4. नकुल कौशिक पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी सी-लाईन राधा गेट निवाडी रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
5. निजामुद्दीन पुत्र अमीन अली निवासी गाँव पूठडी थाना जानी जनपद मेरठ, उम्र करीब 41 वर्ष।
6. संजू पुत्र राजकुमार निवासी गाँव गामडी थाना परतापुर जनपद मेरठ, उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

10 विद्युत ट्रांसफॉर्मर कॉयल, चोरी करने के उपकरण रस्सा, टार्च, 02 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त बुलेरो पिकअप गाड़ी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना सहित चोरी के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व
थाना मुरादनगर पुलिस टीम।